अधिनियम, राजस्व पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में राय बनाए बिना रिफंड को रोकता है, और, केवल इस कारण से कि अधिनियम के तहत कुछ कार्यवाही लंबित है, न तो प्रचार किया गया था और न ही इस पर ध्यान दिया गया था। इसलिए, यह मामला राजस्व की ओर से प्रस्तुत करने में मदद नहीं करता है।

(7) परिणाम के अनुसार, याचिका के अनुलग्नक पी-2 के अनुसार आयकर अधिकारियों द्वारायाचिकाकर्ता को दी गई निधि को रोकने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश को रद्द किया जाता है।

एस.सी.के.

न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया और न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री के समक्ष

भारत संघ, - अपीलकर्ता।

बनाम

इंदर सिंह, - प्रतिवादी।

सिविल विविध सं. 1986 का 1671-सी द्वितीय

एफ.ए.ओ. संख्या 1978 का 48

30 अप्रैल, 1987।

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम (1984 का 18वां संस्करण) - धारा 30(2) - मुआवजे में कटौती के लिए अपील लंबित है - वृद्धि के लिए दावेदारों द्वारा कोई अपील नहीं - प्रावधान में संशोधन का लाभ - क्या ऐसा दावेदार अयोग्य है।

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 30 की उप-धारा (2) के उप-धारा (2) के प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि विधायिका का इरादा पूर्व में एक निश्चित तारीख तक दावेदारों को संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने का इरादा था,यदि तब तक, मुआवजे के मामले को न्यायालयों द्वारा अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया था। यदि संबंधित समय पर, न्यायालय मुआवजे के मामले को देखता है, तो न्यायालय मुआवजे की सही मात्रा निर्धारित करते समय संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा, क्या न्यायालय ने राज्य के कहने पर मामले को जब्त कर लिया था, जिसने मुआवजे की मात्रा को कम करने का इरादा किया था या यह राशि रखने के लिए दावेदारों के कहने पर मामला जब्त किया गया था। मुआवजे की राशि बढ़ाई गई।

(पैरा 6)

सी.पी.सी. की धारा 151 और 153 के तहत आवेदन केंद्रीय अधिनियम संख्या 30 की धारा 30 के साथ पढ़ा जाता है। (ग) 1984 की याचिका सं 68 में यह अनुरोध किया गया है कि यह माननीय न्यायालय दिनांक 6 अप्रैल, 1983 के आदेश में संशोधन करने की कृपा करे और यह सुनिश्चित करे कि आवेदक अधिग्रहण के बाद पहले वर्ष में 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 9 प्रतिशत की दर से ब्याज और15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के हकदार हैं। उसके बाद आवेदन करने वालों को इस आवेदन की लागत से भी सम्मानित किया जा सकता है।

"माननीय न्यायमूर्ति आई एस तिवाना द्वारा 15 जुलाई, 1986 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया था। न्यायमूर्ति डी एस तेवतिया और न्यायमूर्ति एम आर अग्निहोत्री की खंडपीठ ने अंततः 30 अप्रैल 1987 को मामले का फैसला किया।

आर. एस. चाहर, वकील, अपीलकर्ता के लिए।

एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता (मिस जयश्री ठाकुर, उनके साथ वकील), प्रतिवादी-आवेदकों के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया,. (मौखिक)

(1) आई. एस. तिवाना, न्यायमूर्ति द्वारा पारित 15 जुलाई, 1986 के एक संदर्भ आदेश पर इस पीठ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या दावेदार-प्रतिवादी, जिनकी भूमि

अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित की गई है, भूमि अधिग्रहण(संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। 1984 (1984 का अधिनियम संख्या 68) (इसके बाद 'संशोधन अधिनियम' कहा जाता है) भले ही उनके कहने पर निर्णय के खिलाफ कोई अपील उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में प्रासंगिक समय पर लंबित नहीं थी, केवल राज्य सरकार की अपील के खिलाफ अपील लंबित थी।

(2) जब मामला एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो दावेदार-प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि राज्य सरकार की अपील के लंबित होने से भी प्रतिवादियों को उक्त संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का दावा करने का अधिकार मिलेगा और उस रुख के समर्थन में, विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया: —

(i) **अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्टगुरदयाल सिंह** [1]

(ii) **हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा ईश्वर सिंह** (2)

(iii) **पी.एस.ई.बी. बनाम सरनजीत सिंह आदि।** (3).

(iv) **हरियाणा राज्य बनाम हुकम सिंह आदि** (4).

न्यायमूर्ति तिवाना, ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **लीला वती बनाम हरियाणा राज्य** में, उन्होंने माना था कि केवल तभी, जब दावेदार की अपील प्रासंगिक अवधि में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, संशोधन अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकते हैं। दावेदारों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है, जो कि दावेदार-प्रतिवादियों की ओर से उद्धृत निर्णयों के विपरीत है, मामले को निर्णय के लिए बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया और इस तरह मामला हमारे सामने है।दावेदारों की ओर से उद्धृत निर्णयों मेंसंशोधन अधिनियम की धारा 30, उप-

धारा (2) के प्रावधान का परीक्षण नहीं किया गया है। वस्तुत, जैसा कि प्रतीत होता है, कोई कारण नहीं दिया गया है, विद्वान न्यायाधीशों से यह प्रश्न नहीं पूछा गया था, जिन्होंने उन मामलों का निर्णय किया था और इसलिए,हमारे समक्ष विचारार्थ उठने वाले विवाद को दूर करने का कोई अवसर नहीं आया।

(3) निस्संदेह न्यायमूर्ति तिवाना. ने कानून के उस प्रस्ताव की जांच की जिसे उन्होंने निर्णय के लिए इस पीठ को भेजा है। उन्होंने इसके प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा था। संशोधन अधिनियम की धारा 30 (2) में यह विचार किया गया था कि अनाकारी अधिनियम का लाभ दावेदारों को केवल तभी मिल सकता है जब संशोधन अधिनियम की धारा 30 (2) द्वारा परिकल्पित प्रासंगिक समय पर, न्यायालय को दावेदारों के कहने पर मामले की जानकारी दी गई थी, न कि अन्यथा।

(4) संशोधन अधिनियम की धारा 30, उप-धारा (2) का प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में है -

"30. संक्रमणकालीन प्रावधान।-(1)

(2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) और धारा 28 के प्रावधान, जैसा किइस अधिनियम की धारा 15 और धारा 18 के खंड (बी) द्वारा संशोधित किया गया है, लागू होंगे,

(3) 1981 के आरएफए संख्या 1352 में 1986 के सीएम नंबर 105-सीआई का फैसला 16 मई, 1986 को किया गया।

(4) 1975 के आर.एफ.ए. संख्या 714 में 1985 के सी.एम. नं. 371-सीआई का निर्णय 18 दिसंबर, 1985 को लिया गया।

(5) 1983 के आरएफए संख्या 129 में 1986 के सीएम नंबर 203-सी-आई का फैसला

10 मार्च, 1986 को किया गया।

1979 के आरएफ-ए-संख्या 815 में 1985 के एन°'1515'सी'टी का निर्णय 30 नवंबर, 1985 को लिया गया। और 30 अप्रैल, 1982 (भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक के पुरस्थापित होने की तारीख) के बाद मूल अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील में कलेक्टर या न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्णय पर या उच्च न्यायालययया उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश पर भी लागू और प्रतिपादित माना जाएगा । 1982, लोक सभा में) और इस अधिनियम के शुरू होने से पहले।

(6) उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि विधानमंडल का इरादा संशोधन अधिनियम के प्रावधान का लाभ दावेदारों को अतीत में एक निश्चित तारीख तक बढ़ाने का था, यदि तब तक न्यायालय मुआवजे के मामले का अंतिम रूप से निपटान नहीं किया गया था। यदि संबंधित समय पर न्यायालय को मुआवजा मामले की जानकारी हो, तो न्यायालय को मुआवजा के सही मात्रा को निर्धारित करते समय, यह देखना होगा कि क्या न्यायालय को मामला राज्य के द्वारा बढ़ाए जाने वाले मुआवजे की मात्रा को कम करने के इरादे से है, या यह मामला मुआवजे की मात्रा को बढ़ाने के इरादे से दाखिल किया गया है।

(7) (7) विधानमंडल द्वारा ऐसा इरादा किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि **मोहिंदर सिंह और अन्य**[2] (6) के खिलाफ पंजाब राज्य की अपील को खारिज करते समय उनके आधिपत्य (हालांकि कानूनी प्रस्ताव की उनके लॉर्डशिप द्वारा जांच नहीं की गई थी) पर विचार किया गया था।। उनके लॉर्डशिप ने बढ़ी हुई दरों पर मुआवजा और ब्याज प्रदान किया, जैसा कि निर्णय के निम्नलिखित प्रासंगिक भाग से स्पष्ट है: –

जहां तक मुआवजे की मात्रा का सवाल है, हमें इस अपील में कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि विशेष अनुमति याचिका खारिज की जा चुकी है।विवादित फैसले को लागू करें। हालांकि, उत्तरदाता 1984 के अधिनियम 68 के प्रावधानों के लाभ के हकदार हैं, जिसके द्वारा अधिसूचना की तारीख से 30% मुआवज़ा अधिनियम

की धारा 4, उप-धारा (1) के तहत तक प्रकाशन की तारीख तक ब्याज 6% के बजाय 9% की दर से

तिलक राज भल्ला बनाम पंजाब राज्य और अन्य (एच. एन. सेठ, सी.जे.)

अधिगृहीत भूमि का कब्जा लेने की तारीख से, जैसा कि मूल रूप से असंशोधित अधिनियम में निहित है। चूंकि इस मामले में निर्णय एक वर्ष बाद दिया गया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के तहत, प्रतिवादी 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के हकदार होंगे, जिसकी ओर उन्हें पहले ही 6 प्रतिशत मिल चुका है।

शीर्ष अदालत के पूर्वोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह मानने से कोई परहेज नहीं है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के दावेदार संशोधन अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के संदर्भ में बढ़ी हुई अनुग्रह राशि और ब्याज का दावा करने के हकदार होंगे, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त प्रावधानों द्वारा परिकल्पित समय, वर्तमान मामले में भारत संघ की ओर से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में केवल राज्य सरकार अथवा भारत संघ की ओर से अपील लंबित है, जैसा भी मामला हो।

(8) उपरोक्त दृष्टिकोण के प्रकाश में, हम मानते हैं कि निर्णय **लीला वाटी बनाम**

हरियाणा राज्य (सुप्रा) सही कानून नहीं रखता है।

(9) तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि दावाकर्ता-उत्तरदाताओं को मुआवजे की पूरी राशि पर 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा और कब्जा लेने की तारीख से पहले वर्ष के लिए 6 प्रतिशत के बजाय 9 प्रतिशत की दर से ब्याज और मुआवजे की राशि के भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा।.

(10) सिविल मिस। 1978 के एफएओ संख्या 48 में 1986 के आवेदन संख्या 1671-सीआईआई की अनुमति है। कोई कीमत नहीं।

आईएल एन सेठ, मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहान के समक्ष

तिलक राज भल्ला, याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1987 का 961

21 अप्रैल, 1987।

... पंजाब जिला, वकील सेवा नियम, 1960- नियम 3 और 14 - जिला अटॉर्नी - कानून अधिकारियों के स्थानांतरण और पुलिस के मुकदमेबाजी विभाग का निर्माण - जिला अटॉर्नी का तबादला और कानून अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त

रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा